न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 138/2017/डिक्री

देवी उर्फ देवीलाल पिता काना चमार
निवासी सदापुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
दिनांक 21.06.2017 प्रकरण सं. 97/2015

उपस्थित – 1. श्री दिनेश दायमा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 07.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलार्थी वादी ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र दिनांक 17/09/2015 को इस अभिकथन के साथ पेश किया कि ग्राम सदापुरा पटवार हल्का चोगावडी तहसील गंगरार मे स्थित साबिक आराजी नम्बर 14 मे से दिनांक 11/10/1977 को मिसल नम्बर 658/1977 से 2 बीघा भूमि आंवटित कर अपीलार्थी को कब्जा सुपुर्द किया गया। आंवटन दिनांक से अपीलार्थी का आज दिनांक तक कब्जा चला आ रहा है। दौराने भू–प्रबन्धीय कार्यवाही गंगरार तहसील आंवटन होने से अपीलार्थी को आंवटित भूमि को चारागाह दर्ज कर दी तथा अपीलार्थी के नाम खातेदारी अथवा गैर खातेदारी मे दर्ज नही कर साबिक आराजी नम्बर 14 से बनने वाले नवीन कृषि भूमि आराजी नम्बर 12 के सम्पूर्ण सरकबे 2.73 है0 चारागाह दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलार्थी सद्भाविक आंवटी होकर निर्बाध रूप से अपने आंवटित रकबे पर आंवटन दिनांक से काश्त करता चला रहा है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने

वादपत्र को राजस्व कैम्प मे प्रकरण को साबित नही मानकर खारीज कर दिया जिससे असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की आदेश संचिका मे दिनांक 10/06/2016 को प्रतिवादी का जवाब रेकार्ड पर लिया तथा प्रकरण मे तनकियात कायम ी हेतु 7 पेशियां देकर अंत मे बिना तनकियात साक्ष्य मौखिक व प्रालेखीय रेकार्ड पर लिए बिना प्रकरण को कैम्प कोर्ट चोगावडी मे रखकर पक्षकार व अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे वादपत्र को प्रमाणित नही मानकर खारीज करने मे वैधानिक त्रुटि की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06/06/2017 मे वादपत्र खारीज करने का मुख्य अवलम्बन यह लिया कि वर्तमान मे साबिक आराजी नम्बर 14 की किस्म भू प्रबन्धीय कार्यवाही के पश्चात् नवीन नम्बर आराजी नम्बर 12 कायम करते हुए किस्म चारागाह दर्ज हो जाने खातेदारी मे दर्ज नही की जा सकती है जबकि वक्त आंवटन भू–प्रबन्धीय कार्यवाही प्रभावी होने से आंवटन आदेश का इन्द्राज जमाबन्दी मे करने का दायित्व राज्य सरकार के प्रतिनिधियान का होता है। राजस्व रिकार्ड को अपडेट करने का दायित्व तहसीलदार का होता है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रकरण संख्या 97/2015 दिनांक 06/06/2017 मे पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करते हुए पूर्ण विधिनुरूप प्रक्रिया अपना कर पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट को भूमि आंवटन दिनांक 11/10/1977 को हुआ था जिसका कब्जा उसी समय दिया जा चुका है। जिसकी प्रमाणित प्रति भी उन्होने प्रस्तुत की है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद नही हो सका। वर्ष 1977–81 तक गंगरार तहसील का भू–प्रबन्धन कार्य चला जिसके कारण राजस्व ग्राम सदापुर का खसरा नम्बर 14 रकबा 2 बीघा के नये नम्बर 12 बने। पूर्व मे जो रकबा बीड़–द्वितीय था उसे काट कर चरनोट बना दिया गया। जमाबन्दी संवत् 2030'–33 मे आराजी नम्बर 14 रकबा 5 बीघा बीड़–द्वितीय बिलानाम कृषि योग्य भूमि दर्ज हैं उपखण्ड अधिकारी के यंहां जब धारा 88 आरटिएक्ट तहत वाद प्रस्तुत किया गया तो उनके द्वारा धारा 16 मे चारागाह प्रतिबन्धित भूमि होने

के कारण वाद खारीज कर दिया गया। न्यायालय द्वारा ये पूछे जाने पर कि उक्त त्रुटि के लिये धारा 136 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही क्यो नही की गई, पर वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट अनपढ़ होने के कारण ऐसा नही कर सके। उपरोक्त विवेचन प्रस्तुत करते हुए वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने की मांग की गई ।

4. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक ने बयान किया कि चरनोट भूमि पर खातेदारी नही दी जा सकती है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चरनोट भूमि पर खातेदारी देना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 मे प्रतिबन्धित होने के कारण घोषणात्मक वाद खारीज किया गया है जो विधिसम्मत है। जिसमे यह न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझता है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार द्वारा प्रकरण 97/2015 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21/06/2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़